



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042022-235247
CG-DL-E-20042022-235247

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1791]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 2022/चैत्र 30, 1944

No. 1791]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 2022/CHAITRA 30, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2022

का.आ. 1881(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड(46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा गुजरात राज्य सरकार द्वारा संस्थापित एक प्राधिकरण 'गुजरात रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण' (पैन:-AAAGG1260R) को उस आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (क) सरकार से अनुदान सहायता अथवा ऋण/अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि;
 - (ख) भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार बिल्डर/डवेलपर, एजेंट या अन्य किसी हितधारक से प्राप्त शुल्क/शास्ति; तथा
 - (ग) उपर्युक्त (क) और (ख) पर अर्जित व्याज।
2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि गुजरात रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण,-
- (क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं होगा;
 - (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उपधारा(4ग) के खंड(छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्षों 2022-23, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 और 2026-2027 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 35 /2022/फा. सं. 300196/7/2022-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2022

S.O. 1881(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, ‘Gujarat Real Estate Regulatory Authority’ (PAN AAAGG1260R), an Authority constituted by the State Government of Gujarat, in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:-

- (a) Amount received as Grant-in-aid or loan/advance from Government;
- (b) Fee/penalty received from builders/developers, agents or any other stakeholders as per the provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016; and
- (c) Interest earned on (a) & (b) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Gujarat Real Estate Regulatory Authority,-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be applicable for the financial years 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 and 2026-2027.

[Notification No. 35/2022/F. No. 300196/7/2022-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.